REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 7 | ISSUE - 10 | JULY - 2018

महिला सशक्तिकरण एवं महिला सरपंच

डॉ.मीनू[1] , विद्या देवी[2]
[1]एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, रोहतक.
[2]शोधार्थी, राजनीति शास्त्र विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, रोहतक.

परिचय

इस तथ्य में कोई अतिशयोकित नहीं है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का भविश्य उज्जवल है। पंचायती राज व्यवस्था २०वीं शताब्दी में अपनी यात्रा को सम्पन्न कर चुकी है। इस २१वीं षताब्दी में इस व्यवस्था को अभी अनेक महत्व पूर्ण पड़ाव तय करने हैं। पंचायती राज व्यवस्था को इस २१वीं शताबदी में उपलब्धियों और कई विकास के कार्यों का शुभारम्भ हो चुका है क्योंकि राज व्यवस्था की दृश्टि से यह शताब्दी आशा की सदी है, निराशा की नहीं। आवश्यकता है इस बात की कि पंचायतीराज संस्थाएं अंर्तनिहित कमियों से सैदांतिक व व्यवहारिक विकृतियों से मुक्त हो।

७३वं संवैधानिक संशोधन द्वारा दायित्वों के निर्वहन में पंचायतों में कमजोर तबके एवं महिलाओं की छुपी ऊर्जा द्वारा उद्धेश्यों को प्राप्त करने की कोशिश की। पंचायतों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग की महिलाओं को सत्ता में भागीदार बनाकर इन तबकों में महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया गया।

पंचायती राज प्रमुख उपलब्धियाँ

विभिन्न प्रकार की कमियों एवं दुर्बलताओं के बावजूद पंचायती राज ग्राम वासियों की जीवन पद्धति का केंद्र बनता जा रहा है। अशिक्षित जनता, जातिगत और धर्मगत अन्ध विश्वास, परम्परागत अलोकतांत्रिक, सामाजिक और पारिवारिक ढांचे, परिपक्व राजनीतिक प्रबुद्धता की कमी आदि के कारण पंचायती राज की उपलब्धियों का कम अंकन करने तथा पंचायती राज की आलोचना करने की एक सामान्य प्रवृति विकसित हो गई है। इन्कार करना मुश्किल है कि देश के राजनीतिकरण तथा पंचायती राज व्यवस्था ने आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ग्राम जीवन में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों और पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकलापों ने एक नया जागरण पैदा किया है। अब गांव वालों का उस प्रकार शोषण नही किया जा सकता है जैसे कि पहले महाजन और जमीदार वर्ग करता था। वोट की कीमत समझी जाने लगी है, ग्रामीण जनता की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ी है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण कृत संस्थाएं स्वशासन की इकाईयों के रूप में विकसित हो रही है, ग्रामीण-नेतृत्व पनपता जा रहा है। गांवों के पिछड़े वर्गों में चेतना आई है। गांवों की स्त्रियों भी छूआ छूत और राजनीतिक क्रिया कलापों में भाग लेने लगी है। राजनीतिक जाग्रति के साथ सामाजिक चेतना बढ़ी है, पंचायती राज ने छूआछूत और भेदभाव की दीवारों को जबरदस्त धक्का पंहुचाया है। मजदूर और नौकर कहा जाने वाला व्यक्ति अब पंचायत या पंचायत समिति की अध्यक्षता करता है और बड़े-बडे राजनीतिक नेताओं के साथ बैठता है तो क्या इसे हम गांवों की सामाजिक और राजनीतिक क्रांति नहीं कहेंगे? गांवों का जागरण राज्य के स्तर की राजनीति पर दबाव डालने में सक्षम हुआ है। जातिगत धर्मगत और अन्य हित स्थानीय दबाव समूह के रूप में प्रकट होने लगे हैं। ग्रामीण जनता को अपने अधिकारों और

उतरदायित्वों के विशय में नई जानकारी मिली है। पंचायती राज नई-नई मांगों को जन्म देकर गांवों को आगे बढ़ा रहा है। गांव वालों मे आत्म-विश्वास की भावना जाग्रत हुई है।

पंचायती राज का प्रारम्भ जनता में आत्म-सहायता की भावना पैदा करने, विकास कार्यक्रमों में जनता को भाग लेने का अवसर प्रदान करने तथा उनमें, लोकतंत्रीय विचारों का प्रसार करने के लिए किया गया था। यदि पंचायती राज के लाभ व हानियों की एक सूची तैयार की जाए तो यह स्पश्ट प्रतीत होगा कि इसका श्रेश्ठतम लाभ जन-साधारण में आत्म महत्व की अनुभूति को उत्पन्न करना रहा है। पंचायती राज के परीक्षण की सफलता हमारी जागरूकता तथा समस्याओं का सहास व उत्साह से सामना करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करेगी। प्रारम्भिक चरणों में पंचयती राज संस्थाओं को अपने उद्धेश्यों की प्राप्ति में अधिकारियों के महत्वपूर्ण परामर्श तथा निर्देशन की काफी ज्यादा आवष्यकता है। अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों के अनुकूल स्वयं को बदलना है किन्तु इन संस्थाओं को वह कार्य नहीं सौंपने चाहिए जो वे कर नहीं सकती। उनको सिर्फ वे ही दायित्व सौंपे जाने चाहिए जिनको वे सफलता से निभा सके। इसके अलावा राज्य सरकार को इन संस्थाओं पर उचित नियंत्रण रखना चाहिए तथा उनकी देखरेख करनी चाहिए।

किसी स्तर पर यह विचार नहीं आना चाहिए कि पंचायती राज की स्थापना से सब समस्याएं सुलझ गई है। भविश्य में आशा तथा ग्रामीण जनता की योग्यता में विश्वास इस परीक्षण को सफल बना सकते हैं।

हरियाणा राज्य में पंचायती राज

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला है। ग्राम पंचायते स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं जो लोगों के द्वारा सीधे चुनी जाती है। पंचायतें जो लोगों के बहुत निकट हैं उनका सुदृढ़ होना इनकी सफलता के लिए आवश्यक है। आज सभी गांवों में पंचायतें हैं, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण वास्तव में पंचायतों के माध्यम से ही जमीनी स्तर पर आया है।

हरियाणा में भी १९६६ से पहले (जब हरियाणा पंजाब का हिस्सा था) पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचयतों को अनेक अधिकार व षक्तियां दी गई थी। १९६६ में हरियाणा के अलग राज्य बनने व ७३वं संविधान संषोधन के पारित हाने तक राज्य पंचायतों पर यही अधिनियम लागू होता था। १९३३ में ७३वां संशोधन अधिनियम पास होने के बाद हरियाणा सरकार द्वारा 'हरियाणा पंचायती राज अधिनियम' १९९४ परित किया गया जिसमें ७३वं संविधान संशोधन की लगभग सभी सिफारिशों को मंजूरी दी गई। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम १९९४ के अंतर्गत ग्राम पंचायत के विभिन्न पहलूओं का वर्णन इस प्रकार है:-

रचना

इस अधिनियम में ग्रामीण स्तर पर गठित पंचायत को ग्राम पंचायत कहा गया है। इस अधिनियम में सरपंच तथा पंचों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि द्वारा ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को वर्गों में विभाजित किया जाएगा।

आरक्षण की व्यवस्था

इस अधिनियम में ये प्रावधान है कि ग्राम पंचायत में पंच तथा कुछ सरपंचों के पद अनुसूचित जाति, महिलाओं तथा पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। आरक्षण की व्यवस्था संबंधित गांव की जनसंख्या पर निर्भर होगी।

कार्यअवधि

अधिनियम की धारा ३ के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया कि ग्राम पंचायतें ५ साल के लिए कार्य करेगी। ५ साल से पहले यदि भंग हो जाए तो ६ महीने के अन्दर चुनाव कराने होगे। वह पंचायत शेष अवधि के लिए कार्य करेगी।

बैठके

पंच बहुमत द्वारा लिखकर विशेष बैठक आयोजित करवा सकते हैं। बैठक में जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे।

पंचायती राज अधिनियम १९९४ के द्वारा पंचायतों को सौपें गए कार्य

१. पंचायत क्षेत्र के लिए वार्शिक योजनाएं बनाना
२. प्राकृतिक आपदाओं से राहत जुटाना
३. सार्वजनिक स्थानों में नाजायज कब्जे हटाना
४. कृशि क्षेत्र में बागबानी को प्रोत्साहन देना
५. पशु पालन एवं डेरी उद्योग को बढ़ावा देना
६. सड़क के दोनों ओर पौधे लगवाना
७. खादी ग्राम उद्योग एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना
८. पेयजल व्यवस्था को सुचारू करना
९. बिजली व्यवस्था में सुधार करना
१० शिक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाना

पंचायत समिति

हरियाणा जो कि बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के समय पंजाब का एक भाग था, में भी इन सुझावों को लागू किया गया इस प्रकार हरियाणा में पंचायत समिति की स्थापना पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम १९६१ के अन्तर्गत की गई।

७३वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को अपनाने के बाद हरियाणा में त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना की गई।

पंचायत समिति का गठन

हरियाणा सरकार सामान्य तथा विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, जहां किसी पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या का दो तिहाई भाग निर्वाचित किया जाना अपेक्षित हो, निर्वाचित कर लिए जाते हैं।

सशक्तिकरण का अर्थ

महिलाओं को शारीरिक तौर पर पुरूशों से कमजोर माना जाता है। उन्हें हमेशा पुरूष के साए में महफूज माना जाता है। इसी विचार से छुटकारा पाने के लिए महिलाओं ने संघर्ष शुरू किया। महिलाओं को आर्थिक मामलों में आत्म निर्भर बनाना, सामाजिक जीवन में उचित सम्मान व भागीदारी देना तथा राजनैतिक क्षेत्र में शक्तिशाली बनाना ही महिला सशक्तिकरण होता है।

इसी दिशा में दक्षिण भारत की महिलाओं ने पहल करते हुए नशा विरोधी आन्दोलन का सूत्रपात किया। १९९२ के सितम्बर व अक्टूबर के महीनें में तेलगु प्रेस में लगभग रोज मदिरा बिक्री पर पाबंदी की मांग संबंधी खबर छपती थी। गांव की महिलाओं का यह आन्दोलन माफिया और सरकार दोनों के विरूद्ध था। यह आन्दोलन ही ताड़ी विरोधी आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस आन्दोलन में ५००० गांव की महिलाएं षामिल हो गई।

आन्दोलन से महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक जीवन भी अनछुआ न रहा। इस आन्दोलन ने मुद्दों की तरफ भी देश का ध्यान खींचा क्योंकि –

१. शराब व्यवसाय के कारण राजनीति और अपराध के बीच गहरा संबंध बन गया था। चूंकि राज्य सरकार को ताड़ी बिक्री से राजस्व की प्राप्ति होती थी इसलिए वे इस पर प्रतिबंध नहीं लगाते थे।
२. इस आन्दोलन ने महिलाओं को घरेलू हिंसा के मुद्दों को उठाने का मौका दिया है।
३. इस आन्दोलन ने दहेज प्रथा, कार्य स्थल एवं सार्वजनिक स्थलों पर यौन उत्पीड़न की तरफ देश का ध्यान आकर्शित किया।
४. महिलाओं ने दहेज प्रथा के खिलाफ आन्दोलन चलाया और लैंगिक समानता के सिद्धांत पर आधारित सम्पति कानूनों की मांग की।

इन परिस्थितियों के कारण महिलाओं की चेतना जाग्रत हुई और उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना। महिलाओं ने पंचायतों, विधानसभाओं व संसद में अपने लिए आरक्षण की मांग की। इसके लिए उन्होंने धरने तथा प्रदर्शन भी किए। परिणामस्वरूप संवधिान में ७३वां संशोधन हुआ। कई राज्यों में शराब बन्दी लागू की गई तथा घरेलू हिंसा तथा महिला अत्याचार के विरूद्ध कठोर नियम बनाए गए।

महिला उत्थान के लिए उठाए गए कदम

कानूनों का निर्माण

महिला उत्थान और उनके अधिकारों में वृद्धि करने के लिए सरकार ने बहुत सारे अधिनियमों का निर्माण किया है। इस संबंध में स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्षों बाद ही इस दिशा में कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई।

महिला उत्थान तथा विकास के लिए निम्न कानून बनाए गए–

१. हिन्दू विवाह अधिनियम १९५५
२. समान भत्ता अधिनियम १९७६
३. बाल विवाह पर रोक (संशोधन) अधिनियम १९७८
४. महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम २००५

महिला उत्थान और पंचायती राज

१९९१ में पंचायती राज के संवैधानिक तौर पर अस्तित्व में आने के साथ ही देश में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की शुरूआत हुई। १९९२ में हुए ७३वें और ७४वें संशोधन द्वारा महिलाओं की पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय संस्थाओं जैसे नगर निगम, नगर परिषद आदि में एक तिहाई स्थान आरक्षित किए गए।

पंचायती राज संस्थाओं में कुल स्थान के कम से कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है।

७३वां संवैधानिक संशोधन एक्ट

पंचायत की अवधारणा हमारे लिए कोई नई नहीं है। भारत में ग्राम पंचायतों का इतिहास बहुत की पुराना है। प्राचीन काल में ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित सभी मामले ग्राम पंचायते ही निपटाती थी। इतिहास में भी इस बात का पर्याप्त उल्लेख मिलता है कि प्राचीनकाल में भी भारत में स्थानीय शासन की संस्थाऐ विद्यमान थी और उस समय भी यह लोगों की सुविधाएं प्रदान करवाती थी। भारत में अंग्रेजों के शासन काल के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया बल्कि पंचायत जैसी लोकप्रिय संस्थाएं जो ग्रामीण विकास का थोड़ा बहुत काम कर रही थी। इनको समाप्त करके केन्द्रीयकरण के सिद्धान्त पर आधारित शासन प्रणाली की स्थापना की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि गांवों में अज्ञानता, अनपढ़ता तथा बेरोजगारी का बोलबाला हो गया।

स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान गांधी जी ने अनुभव किया कि भारत वास्तव में गांवों में बसता है और गांवों की उन्नति तथा प्रगति पर ही भारत की उन्नति तथा प्रगति निर्भर करती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद ४० में स्थानीय सरकार की स्थापना की व्यवस्था की गई है। १९५२ में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। इसलिए पंचायतों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया और ७३वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में निचले स्तर तक के लोगों की शक्तियां देने की प्रक्रिया में यह पहला कदम है।

पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संशोधन १९९३ में लागू किया गया। इस संशोधन से व्यवस्था में व्यापक पैमाने पर फेर बदल किया गया।

७३वें संवैधानिक संशोधन की विशेषताएं

१. संवैधानिक दर्जा

इस संशोधन से पहले केवल राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद, पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया कि वह पंचायतों का निर्माण करने के लिए उचित कदम उठाए और इनकों इतनी शक्तियां और अधिकार प्रदान करें कि ये स्वशासन की इकाई के रूप में काम कर सके। १९९२ से पहले इन संस्थाओं को कोई संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई थी। लेकिन ७३वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इनको संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है।

२. त्रिस्तरीय प्रणाली

इस संशोधन के अनुसार त्रिस्तरीय प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत मध्य स्तर पर ब्लॉक समिति या पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद।

३. प्रत्यक्ष चुनाव

७३वें संशोधन के द्वारा पंचायत के सभी सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होगा। ग्राम स्तर पर सरपंच का चुनाव भी प्रत्यक्ष होगा। पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन ऐसी संस्था के निरीक्षण एवं नियंत्रण में होगा जिस की व्यवस्था राज्य विधानमण्डल करेगा।

४. महिलाओं एवं अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण

प्रत्येक स्तर पर ग्राम पंचायत से जिला परिषद तक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए उसकी जनसंख्या के अनुसार आरक्षित होगी। प्रत्यक्ष चुनाव में भरे जाने वाली सभी संस्थाओं में १/३ स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

प्रजातंत्र सरकार की सर्वोतम शासन प्रणाली है। यदि किसी देश में लोकतंत्र को सफल बनाना है तो इसके लिए जरूरी है कि इसकी शुरूआत स्थानीय स्तर से की जाए। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए भारत में ग्रामीण स्तर में पंचायतीराज की व्यवस्था की गई है।

भारत में पंचायतों का चलन बहुत पुराना है। पंचायत प्राचीन काल से ही शासन की प्रमुख स्थानीय संस्था है।

अंग्रेजों ने १९१९ से लेकर १९४७ तक ब्रिटिश काल में कई राज्यों और देशी रियासतों में पंचायत संबंधी कानून बनाए गए। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज सबसे महत्वूपर्ण खोज है।

ग्रामीण लोगों द्वारा स्वयं अपने गांव का प्रशासन चलाना तथा स्वयं अपनी आवश्यकतानुसार स्वयं के विकास का अधिकार पंचायती राज कहा जाता है।

सबसे पहले २ अक्टूबर १९५९ को राजस्थान में जिला नागोंर में पंचायती राज की स्थापना हुई।

७३वें संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन।

ग्राम पंचायत

हरियाणा के गांव जिनकी जनसंख्या ५०० से कम न हो वहां एक ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है। गांव के सभी व्यस्क स्त्री पुरूष मिलकर ग्राम सभा का निर्माण करते है। ग्राम पंचायत गांव के विकास में अहम योगदान देती है।

ग्राम पंचायत की रचना

प्रत्येक गांव से जिसकी आबादी ५०० की हो वहां ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है। इससे कम जनसंख्या होने पर दो या इससे अधिक गांवों की एक संयुक्त पंचायत बना दी जाती है।

ग्राम पंचायत के चुनाव की विधि

ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक मतदाता पंच व सरपंच के लिए अलग-अलग वोट डालता है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति भारतीय नागरिक होने के साथ २५ वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। मतदाता सूची में उसका नाम हो, सरकारी कर्मचारी व पागल या दिवालिया न हो।

पंचायती राज संशोधन एक्ट २०१५

हरियाणा सरकार ने २०१५ में पंचायत चुनाव के लिए योग्यता निर्धारण हेतू नइ 'शर्तों का प्रावधान किया। सरकार ने इसके लिए पांच श्रेणी बनाई। जैसे-

१. जिन लोगों को १० साल तक ही सजा किसी आपराधिक केस में हुई है, ऐसे व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते।
२. ऐसे व्यक्ति जिन पर कृषि ऋण बकाया हो या बिजली का बिल न भरते हो वे चुनाव नहीं लड़ सकते।
३. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता न रखने वाले तथा जिनके घरों में शौचालय न हो वे भी चुनाव नहीं लड़ सकते।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में सामान्य वर्ग के लिए १०वीं महिला वर्ग ८वीं और दलित महिला वर्ग के लिए ५वीं कक्षा पास होना अनिवार्य किया गया है।

पंचायतों में स्त्री नेतृत्व

एक स्वतंत्र आंकलन से पता चला है कि जब महिलाओं को समाज में निर्णय लेने, निर्णय को क्रियान्वित करने और अपनी प्राथमिकताएं तय करने की स्वतंत्रता मिलती है तो समाज में होने वाला परिवर्तन जयादा मानवीय होता है। पंचायतों में नेतृत्त्व के संदर्भ में विगत एक दशक में हमारी सबसे बाकी उपलब्धि को यदि चिन्हित करना हो तो यह बात उभरकर आती है कि हम स्त्री नेतृत्व के कौशल और महत्व को महसूस कर पाने की प्रक्रिया में प्रवेश कर पाये हैं। जिन पंचायतों में महिला संरपंच और जनप्रतिनिधियों को निर्णय लेने या पहल करने के अवसर मिले हैं वहां गांव की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के प्रयास किए गए हैं, जैसे- वहां मातृत्व सहायता और परिवार सहायता योजना का बेहतर क्रियान्वन हुआ है। पानी की समस्या को हल करने के प्रयास किए गए हैं, लड़कियों की शिक्षा एवं शिक्षकों के व्यवहार पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जहां पंचायतों पर पुरूष मानसिकता का नियंत्रण रहा है, यानी पुरूष संरपंच या पंचों ने निर्णय लिए हैं, वहां आप पायेंगें कि अधिक संरचनात्मक विकास के ज्यादा काम हुए है। इमारतें बनाने के काम को ज्यादा प्राथमिकता दी गई हैं। वास्तव में स्त्री और पुरूष नेतृत्व के बीच मौजूद अन्तर को अब संकेतनशीलता की प्रवृति के आधार पर बखूबी समझा जा सकता है।

स्त्री नेतृत्त्व के अधीन होने की यह पहल करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राजनैतिक व्यवस्था में अस्थिरता का दायरा केवल राजय तक ही सीमित नहीं रह गया है बल्कि पंचायतों में भी इसे

आमतौर पर देखा जाने लगा है। इसका सबसे बड़ा कारण है राजनीति को जरिया बना कर निहित स्वार्थों और महत्वकांक्षा को पूरा करना पुरूष नेतृत्व का लक्ष्य बन गया है। यही से भ्रष्टाचार की जड़ भी तेजी से अपना जाल फैलाती है, क्योंकि महिला नेतृत्व क्षमता का विकास किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए नहीं बल्कि परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए होता हैं। जहां वह किसी निहित स्वार्थ से नहीं बल्कि भावनाओं से नेतृत्व के कर्तव्य का पालन करती है। अतः स्वाभाविक है कि जब वह घर में असमानता का व्यवहार और भ्रष्टाचार नहीं करती है तो उसमें सामाजिक संगठनों और सत्ता में भी इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकेगी।

विकास के क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से यदि देखा जाए कि गांव का नेतृत्व कौन बेहतर ढंग से संभाल रहा है तो निःसंदेह पुरूष नेतृत्व अब पिछड़ता नजर आ रहा है।

एक और प्रवृति भी स्त्री नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है वह प्रवृति है सहनशीलता की। लगातार दमन के बावजूद औरत ने नेतृत्व के मामले में असंयम का परिचय नहीं दिया है।

सन्दर्भ सूची

१. शर्मा दीपक, पंचायती राज का प्रशासनिक तंत्र एवं जनप्रतिनिधि, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, २००७,पृ६ ६६१
२. प्रो. जोशी, आर.पी. ‘‘भारतीय सरकार एवं राजनीति, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, २००७, पृ६ ४४८
३. डॉ. कटारिया सुरेन्द्र, भारतीय लोक प्रशासन, २००५ ए नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, नई दिल्ली, पृ६ ५४५
४. डॉ लवानिया, एम.एम. एवं शशि के. जैन, ग्रामीण समाजशास्त्र,रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ६ ३३०
५. परमार, संदीप, ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान, राधे पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ६ ४
६. गुप्ता, एम.एल, समाज शास्त्रीय अन्वेशण की पद्धतियों एवं प्रारम्भिक सांख्यिकी, साहित्य भवन, आगरा, पृ६ २७१